भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 890
गुरुवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सिलचर विमानपत्तन पर विमानन सुरक्षा

890. श्री परिमल शुक्ला बैद्यः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सिलचर विमानपत्तन पर विमानन सुरक्षा और नियामक निगरानी का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा सिलचर विमानपत्तन पर उड़ान संचालन निगरानी, रनवे सुरक्षा, सर्विलांस और आपातकालीन तैयारी को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सिलचर विमानपत्तन पर उड़ान संचालन की वास्तविक समय में निगरानी, घटना रिपोर्टिंग और सुरक्षा अनुपालन के लिए कोई डिजिटल प्रणाली शुरू की गई हैं या उन्हें अपग्रेड किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए सिलचर विमानपत्तन पर सुरक्षा बुनियादी ढांचे, नौवहन सहायता और परिचालन सुविधाओं को अपग्रेड करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ) : सिलचर हवाईअड्डा सिविल एन्क्लेव है, जिसे नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से लाइसेंस नहीं मिला है।

इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व वाले/उनके द्वारा प्रचालित सभी लाइसेंस प्राप्त हवाईअड्डो और वायु दिक्चालन सेवा (एएनएस) केंद्रों के लिए घटना की रिपोर्टिंग पहले से ही हवाईअड्डा सूचना प्रबंधन प्रणाली (एआईएमएस) के माध्यम से की जा रही है।
